Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 10, Issue 1 | May 2022 - October 2022 | pp. 126-131

कोविड-19 महामारी एवं भारत में प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों का हनन

डॉ. इन्द्राज मल यादव
सहायक आचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमकाथाना, सीकर (राजस्थान)

शोध सारांश

कोविड-19 एक ऐसे संकट के रूप में उभरा है जिसने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। महामारी ने आजीविका और अस्तित्व के मामले में दुनिया की गरीब आबादी को असमान रूप से प्रभावित किया है। भारत ने प्रवासी श्रमिकों के बीच बड़े पैमाने पर संकट देखा। इस संदर्भ में, यह शोध पत्र प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की पड़ताल करता है। कोरोना महामारी के फैलने से इन प्रवासी श्रमिकों का जीवन संकट में पड़ गया। सरकार द्वारा अचानक घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को भोजन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। परिवहन सुविधाओं के अभाव में प्रवासी श्रमिकों ने हजारों मील की दूरी पैदल पूरी की। अचानक घोषित लॉकडाउन के दौरान संघ व राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये गये, परन्तु संघ व राज्य सरकारों के द्वारा किये गये प्रयास नाकाफी साबित हुए। भारतीय न्यायपालिका द्वारा भी प्रवासी श्रमिकों के हित में अनेक निर्णय दिये गये। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनेक याचिकाओं को खारिज करते हुए यह कहना कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दुर्भाग्यपूर्ण था। इस अध्ययन में प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों की निराशाजनक स्थिति को रेखांकित किया गया है। अध्ययन में उन तर्कों का भी समावेश किया गया है जो यह सिद्ध करते है कि इस भयावह दौर में प्रवासी श्रमिकों ने दरिद्रता का अनुभव किया है, इसे दूर करने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है तथा सामाजिक सुरक्षा के उपायो को मजबूत करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संकेताक्षर—*लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर, असंगठित क्षेत्र, स्किल मैपिंग*

प्रस्तावना

महामारी के दौरान भारत सहित दुनिया के विकासशील देशों में प्रवासी कामगारों के समक्ष एक विकट चुनौती उत्पन्न हो जाती है। भारत में औपनिवेशिक काल से ही यह समस्या उत्पन्न होती रही है। भारत में ब्रिटिशकाल में इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, मलेरिया, हैजा आदि बीमारियों के फैलने पर प्रवासी मजदूरों ने बड़े स्तर पर पलायन किया। नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर इन इंडिया, 1991 ने अपनी रिपोर्ट में 10 करोड़ से अधिक प्रवासी ग्रामीण मजदूरों का अनुमान लगाया था। प्रवासी कामगार वे मजदूर हैं जो राज्य अथवा देश के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं।

ये श्रमिक न तो ट्रेड यूनियन में पंजीकृत होते हैं और न ही सरकार द्वारा इनको पंजीकृत किया जाता है। उनके लिए सरकारें श्रम मानकों का भी निर्धारण नहीं करती हैं। सामान्यतया ये श्रमिक अशिक्षित एवं पिछड़े समुदायों से होते हैं। इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं प्राप्त हो पाती हैं, क्योंकि वे न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना से भी अनजान होते हैं। इन प्रवासी मजदूरों को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहाँ

उन्हें आजीविका की समस्या होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी पहचान के अभाव में उन्हें सरकार द्वारा शुरू किये गये गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरे राज्य के मूल निवासी होने के कारण वे न तो मतदान कर सकते हैं और न ही सरकार पर दबाव बना सकते हैं।

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा 2017 में 'द वर्किंग ग्रुप्स ऑन माइग्रेशन' का गठन किया गया। इसने देश में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की। केन्द्र सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर यद्यपि कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के फैलने से एक बार पुनः यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

भारत में कोविड-19 महामारी एवं प्रवासी मजदूरों का पलायन जनगणना 2011 के अनुसार, महाराष्ट्र व दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी मजदूर निवास कर रहे थे। ये प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़िसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब व आसाम के रहने वाले हैं। भारत में कुल 54.3 करोड़ मजदूर हैं जो अपने गृह राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात् लाखों की संख्या में ये प्रवासी मजदूर संकट की स्थिति में पहुँच गये। इनके रोजगार के अवसर समाप्त हो गये, अनिश्चितता का भविष्य व वित्तीय संकट के चलते ये प्रवासी मजदूर अपने गृहक्षेत्र व राज्य की ओर कूच करने लगे। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 40 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों ने इस दौरान अपने गृहक्षेत्र की ओर पलायन किया।

भारत में लॉकडाउन के दौरान घटित महत्त्वपूर्ण घटनाएँ— भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी, 2020 को पाया गया था। बाद में 24 मार्च, 2020 को 4 घंटे की अल्पसूचना के पश्चात् 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन था। भारत 1 अरब 30 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश हैं। जहाँ तुलनात्मक रूप से जनसंख्या घनत्व भी अत्यधिक है। जब भारत में लॉकडाउन की घोषणा हुई तब यहाँ 700 से अधिक मामले थे। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही अत्यावश्यक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद हो गये, अन्तर्राज्यीय सीमायें सील कर दी गई तथा सभी लोगों को अपने घरों में ही रहने के निर्देश दिये गये। इस प्रकार अचानक घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों के जीवन को संकट में डाल दिया। भोजन व आधारभूत सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, अनिश्चितता के भय, सामाजिक संबल के अभाव आदि कारणों के चलते जनसंख्या के एक बड़े भाग का जीवन संघर्ष की स्थिति में पहुँच गया। देशभर में हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार से मांग की कि उन्हें घर, वापसी के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध करवाये जायें, भोजन उपलब्ध करवाया जाये एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं को खोला जाये। जब सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधायें प्रवासी श्रमिकों को नहीं मिल पायी तो प्रवासी श्रमिकों ने अपने गृह क्षेत्रों की ओर पैदल ही कूच किया। हजारों मील की दूरी पैदल ही तय करने का निर्णय लिया। परिवहन सुविधाओं के अभाव में प्रवासी श्रमिक अपने परिवारों सहित जिसमें बच्चे, वृद्ध एवं गर्भवती महिलाएँ भी शामिल थे, हजारों मील की दूरी पैदल पूरी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाओं के शिकार हुए। प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मिडिया द्वारा कुछ हृदय विदारक घटनाओं को उजागर किया गया जो मानवता को शर्मशार करने वाली थी।

21 अप्रैल, 2020 को 12 वर्ष का एक बच्चा पैदल यात्रा करता हुए तेलंगाना से बीजापुर (छत्तीसगढ़) जा रहा था। जब वह 62 मील की दूरी तय कर चुका था तथा घर से 6 मील की दूरी पर दम तोड़ देता है। लॉक डाउन के दौरान रेल व सड़क हादसों, भूख, थकान, आत्महत्या पुलिस की बर्बरता एवं चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में 5 मई, 2020 तक 300 से अधिक प्रवासी मजदूर अकाल मौत के ग्रास बन गये।

8 मई, 2020 को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे 16 प्रवासी मजदूर औरंगाबाद के नजदीक ट्रेन की पटरियों पर आराम कर रहे थे। अचानक मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 14 मई, 2020 को बस-ट्रक हादसे में 8 लोगों की अकाल मौत हो गई।

16 मई, 2020 को डीसीएम (मिनी ट्रक) व ट्रक की टक्कर में 26 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गयी एवं 38 मजदूर घायल हो गये।

ISSN 2348-3857

शोध के उद्देश्य

1. प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का पता लगाना।
2. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का पता लगाना।
3. प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका के लिए विकल्पों की तलाश करना।
4. अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के विकल्पों की तलाश।

प्रवासी मजदूरों के साथ पुलिस बर्बरता

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के साथ पुलिस की बर्बरता भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा। प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मिडिया में वायरल तस्वीरों के माध्यम से पता चला कि पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत ज्यादतियाँ की।

26 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश में पुलिस ज्यादती का एक विडियो वायरल हुआ जिसमें प्रवासी कामगारों का एक समूह अपने घर लौटाने के लिए सड़क पर खड़ा था। वे लोग अपने पीठ पर बैग टांगे हुए थे पुलिस ने उनको पकड़कर अपमानित किया तथा बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया।

ऐसी ही घटना दिल्ली में भी घटित हुई। 28 मार्च, 2020 को हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने अपने परिवारों के साथ पैदल ही अपने गृह नगर की ओर अन्तर्राज्यीय राजमार्ग पर कूच किया परन्तु जब वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचे तो पुलिस ने बर्बरता पूर्ण कार्यवाही की।

सूरत में अपने घर लौटने की मांग कर रहे प्रवासी मजदूरों व पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें पुलिस द्वारा प्रवासी मजदूरों पर आंसू गैस के गोले दागे गये।

पश्चिमी बंगाल में अपने घर से दूध लेने बाहर निकले एक 32 वर्षीय युवक की पुलिस ने कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी।

उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी घटनाओं के वीडियो सामने आये जहाँ पुलिस ने पैदल घर लौट रहे प्रवासी कामगारों को अपमानित करने के लिए उन्हें रेंगने पर मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने भी बेघर लोगों की कथित तौर पर पिटाई की। फल एवं सब्जी बेचने वालों, दूध विक्रेताओं, ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों जैसे दैनिक मजदूरों व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने के समाचार भी दुखद हैं। इस प्रकार पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस ने मनमाने ढंग से प्रवासी कामगारों को दंडित किया तथा सार्वजनिक रूप से उन्हें बेइज्जत किया। पुलिस द्वारा श्रमिकों को ऐसे पोस्टर पकड़ने के लिए बाध्य किया गया जिन पर लिखा था, "मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं घर नहीं रहूँगा।"

29 अप्रैल, 2020 को सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को जांच में सामान्य पाये जाने की शर्त पर अपने गृहक्षेत्र की ओर यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई। सरकार द्वारा इस प्रकार की अनुमति दिये जाने के पश्चात् भी पुलिस द्वारा प्रवासी श्रमिकों के साथ असामान्य व्यवहार किया गया।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान संघ व राज्य सरकारों की भूमिका

सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च, 2020 को 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लेकिन भारत जैसे बड़े राष्ट्र में जहाँ 1.33 अरब से अधिक आबादी निवास करती है, अचानक घोषित इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने प्रवासी कामगारों के जीवन को संकट में डाल दिया। भारत में 80 फीसदी श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। असंगठित क्षेत्र में नियोजित इन श्रमिकों को भोजन, पानी, आश्रय, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव का सामना करना पड़ा। इस सम्बन्ध में पब्लिक हैल्थ रिसोर्स नेटवर्क से जुड़ी डॉ. वंदना प्रसाद का कथन बहुत महत्त्वपूर्ण था जिसमें उन्होंने कहा कि "केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर जल्द से जल्द राशन सम्बन्धी मुद्दे का समाधान करना चाहिए, नहीं तो लोग कोरोना से पहले भुखमरी से मर जायेंगे।" प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं एवं अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन वितरण करना चाहिए तथा राशनकार्ड की अनिवार्यता को भी समाप्त कर देना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को भूखे पेट ना सोना पड़े। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकारों का यह दायित्व भी बनता था कि वे उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करें।

राज्य सरकारों द्वारा अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिये जाने पर समस्या अधिक विकट हो गयी। इससे दोहरी मार का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहाँ प्रवासी श्रमिकों को अपने गृहक्षेत्र तक पहुँचने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई। गौरतलब है कि जैसे-जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, प्रवासी मजदूरों का धैर्य भी जवाब देने लगा था। अतः वे लॉकडाउन तोड़कर भोजन, राशन एवं घर पहुँचने की मांग को लेकर सड़कों पर आने लगे। प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था आजीविका ब्यूरों ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक मांग-पत्र भी तैयार किया। जिसमें मुफ्त राशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

यद्यपि लॉकडाउन के दौरान संघ व राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाये। शुरूआत में संघ व राज्य सरकारों ने राहत की जो घोषणा की वह उन्हीं लोगों तक सीमित थी जिनके पास राशनकार्ड था। "रोजी-रोटी अधिकार अधिनियम" नामक संस्था ने तात्कालिक केन्द्रीय खाद्यमंत्री श्रीरामविलास पासवान को पत्र लिखकर यह मांग की कि बिना राशनकार्ड के सभी को राशन मुहैया करवाया जाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि भारत में लगभग 10 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् पंजीकृत ही नहीं हैं। बाद में कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् गैर-पंजीकृत श्रमिकों को बिना राशनकार्ड के राशन उपलब्ध करवाने की बात कही। परन्तु प्रक्रियागत जटिलताओं के चलते एवं स्थानीय स्तर पर कोटेदारों की मनमानी के कारण गैर-पंजीकृत श्रमिकों को राशन उपलब्ध करवाने में अत्यधिक देरी हुयी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ई-कूपन के जरिये राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की, किन्तु अशिक्षित प्रवासी श्रमिकों के लिए इंटरनेट से ऐप डाउनलोड करना बहुत मुश्किल था।

26 मार्च, 2020 को संघ सरकार ने मुफ्त भोजन, नकद हस्तान्तरण और स्वास्थ्य कर्मियों के बीमा के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। महामारी के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं यथा-सफाई कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सा कर्मियों समेत उच्च जोखिम में कार्य करने वाले सार्वजनिक सेवाकर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए संघ व राज्य सरकारों ने प्रयास किये। इस प्रकार संघ व राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास किये परन्तु ये प्रयास नाकाफी थे।

संघ व राज्य सरकारों को लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। राज्य सरकारों का भी यह दायित्व था कि उन्हें प्रवासी श्रमिकों के भोजन, आवास, परिवहन, सुरक्षा आदि सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए एक समुचित कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए था।

भारत में बढ़ती हिंसा के बावजूद राजस्थान व कर्नाटक में राज्य सरकारों ने कोविड-19 पीड़ितों के नाम व पते सार्वजनिक कर उन पर भीड़-हिंसा का खतरा उत्पन्न कर दिया। दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने उन घरों की पहचान उजागर कर उनके साथ दुर्व्यवहार का जोखिम बढ़ा दिया। इस प्रकार सरकारी कुप्रबंधन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के समय प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिये। अप्रेल, 2020 को लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया "जब भोजन सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है तो न्यूनतम वेतन की क्या आवश्यकता है।"

16 मई,2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों के संबंध में उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल दिशा निर्देश दिये गये कि वे सड़कों पर चल रहे प्रवासी कामगारों की पहचान करें। उन्हें उचित भोजन और आश्रय की सुविधा प्रदान करें। इसके साथ उन्हें निशुल्क घर भेजने की व्यवस्था भी करें।

सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

26 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी कामगारों की समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सरकार की ओर से कुछ निश्चित चूक हुई है। उसने आदेश दिया कि यह केंद्र व राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को निशुल्क भोजन, आश्रय एवं परिवहन सेवा उपलब्ध करावें।

28 मई, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को यह निर्देशित किया कि वे प्रवासी कामगारों से वसूल किये जाने वाले बस व रेल किराये को वहन करे। 9 जून, 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संघ व राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भुखमरी, बेरोजगारी व बीमारी से बचने के लिए अपने गृह क्षेत्र की ओर पैदल मार्च करने वाले प्रवासी श्रमिक पर दर्ज सभी अभियोगों की वापस लें।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों में उनके गृह क्षेत्र भेजा जाये। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करने के लिए भी कहा। साथ ही कोर्ट ने सरकारों से मजदूरों की स्किल मैपिंग कर रोजगार के मुद्दों पर भी राहत देने की बात कही। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों के हित में दायर अनेक याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया या फिर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। न्यायालय का मत था कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा एक नीतिगत विषय है। अतः न्यायालय इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यद्यपि न्यायालय ने इससे पूर्व अनेक मामलों को अपने दायरे में ही माना था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यह बयान व्यथित करने वाला था कि जब प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है तो उन्हें न्यूनतम वेतन भुगतान की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय प्रवासी कामगारों के हित में भी आये। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायपालिका भी प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण में सफल साबित नहीं हुई।

प्रवासी मजदूरों के श्रम कानूनों का उल्लंघन

कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट से निपटाने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों ने बिना अतिरिक्त भुगतान के श्रमिकों के लिए कार्य घंटे बढ़ा दिये। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने सप्ताह में 72 घंटे कार्यविधि निश्चित कर दी अर्थात् आठ घंटे प्रतिदिन कार्य करने के अंतर्राष्ट्रीय श्रम-कानून का उल्लंघन कर श्रमिकों से 12 घंटे प्रतिदिन काम करवाया जा रहा है। यह भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णित श्रमिक अधिकारों के भी प्रतिकूल है।

विमर्श

वर्तमान अध्ययन में प्रवासी श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उभरकर आया कि कोविड-19 का प्रभाव असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों पर विशेष रूप से पड़ा, इसमें भी सबसे अधिक कृषि, सड़क निर्माण, इंट निर्माण, बीड़ी निर्माण, हैण्डलूम, शक्कर निर्माण, परिवहन इत्यादि कार्यों में नियोजित श्रमिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा।

भारत में प्रवासी श्रमिकों के समक्ष कम वेतन, शारीरिक, लैंगिक, मानसिक शोषण जैसी कुछ चुनौतियां उभरकर आई, इसके लिए यह आवश्यक है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार को उन सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करना चाहिए, जो श्रम की गरिमा से जुड़े हुए हैं।

अध्ययन में यह उभरकर आया कि भारत में असंगठित क्षेत्र जैसे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समान श्रम मानकों को लागू किया जाना एक बड़ी चुनौती है। इसका हल यह हो सकता है कि भारत में असंगठित क्षेत्र में नियोजित प्रवासी एवं अन्य मजदूरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भारत में घरेलू प्रवासी मजदूरों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रवासी मामलों के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए।

अध्ययन में यह उभरकर आया कि प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकना एक बड़ी चुनौती है तथा इन अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए प्रवासी श्रमिकों में जागरुकता बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की पहल एवं प्रवासी श्रमिकों के समूह के निर्माण के लिए एक प्रभावी आंदोलन की आवश्यकता है।

अध्ययन में यह भी उभरकर आया कि वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में श्रम मानकों एवं श्रमिक अधिकार (प्रवासी श्रमिकों) के विभिन्न पक्षों पर एक बहस की जरूरत है। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी का दुनिया भर के लोगों पर सर्वव्यापी प्रभाव पड़ा है। हालांकि, आबादी के कमजोर वर्ग महामारी से असमान रूप से प्रभावित हुए हैं और भारत जैसे देशों में प्रवासी कामगारों का मामला गंभीर चिंता का विषय है। वर्तमान अध्ययन भारत में कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों के अनुभव का पहला दस्तावेजीकरण है। यह अध्ययन प्रवासी श्रमिकों की निराशाजनक स्थिति पर प्रकाश डालता है, जो अनियोजित लॉकडाउन और बाद में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संकट की अवधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए। प्रवासी श्रमिकों के अनुभव के अध्ययन से उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दों में आजीविका एवं कर्ज प्रमुख रहे। प्रवासी श्रमिकों को अपने दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से समझौता करना पड़ा। जिम्मेदारी के बोझ ने इनके जीवन को तनावपूर्ण बना दिया। श्रमिकों ने लॉकडाउन एवं प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप सेवाओं तक पहुँच में एक महत्वपूर्ण व्यवधान का अनुभव किया। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का लाभ भी प्रवासी श्रमिकों तक नहीं पहुँच पाया। इसके लिए आवश्यक है कि समावेशी आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बनथिआ, जे, स्मॉलपॉक्स इन नाइन्टीन्थ सेंचुरी इंडिया, पॉपुलेशन एंड डवलपमेंट रिव्यू, वॉल्यूम 25 नवम्बर 2004, पृ.सं. 649.
2. केसरी, कुनाल, भगत आर.बी., टेंपरेरी एवं सीजनल माइग्रेशन : रिजनल पैटर्न, कैरेक्टरिस्टिकस, एण्ड एसोसिएट फैक्टर्स, इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 47, नं 4 जनवरी 28, 2020 पृ.सं. 74.
3. राय, तीर्थकर, लॉ एण्ड द इकोनॉमी इन कॉलोनियल इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 2021 पृ.सं. 18.
4. ए.बी., हबीब, मारिया, यासिर, समीर, इण्डियाज कोरोना वायरस लॉकडाउन लिब्ज वास्ट नंबर्स स्ट्रैनडिड एंड हंगरी, द न्यूयॉर्क टाइम्स मार्च 29, 2020. (एच.टी.पी.पी.एसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनवाईटाईम्स डॉट कॉम/2020/03/29/वर्ल्ड/एशिया/कोरोना वायरस-इण्डिया-माईग्रेन्ट्स डॉट एचटीएमएल)
5. राजलक्ष्मी, टी.के., सेन्टर ब्लेम्स मीडिया 'फेक न्यूज' फॉर मास माइग्रेशन डयूरिंग लॉकडाउन, द हिन्दु फ्रंटलाइन, मई 10, 2020. (एच.टी.पी.पी.एसः//फ्रंटलाईन डॉट द हिन्दु डॉट कॉम/ डिस्पेचेज/आर्टिकल 31228357 डॉट ईसीई)
6. विज, शिवम, मॉर देन 300 इंडियनस् हैव डैड ऑफ कोरोना वायरस एंड नियरली 200 ऑफ द लॉकडाउन, अप्रैल 13, 2020.(एच.टी.पी.पी.एसः//द प्रिन्ट डॉट इन/ओपीनियन/मॉर-देन- 300-इण्डियनस-हैव-डाईड-ऑफ-द-कोरोना वायरस एण्ड- नियरली-200-ऑफ-द-लॉकडाउन /400714)
7. सुसाइड लीडिंग केसेसे फॉर ओवर 300 लॉकडाउन डेथ्स इन इंडिया, द इकोनोमिक टाइम्स, मई 5, 2020.(एच.टी.पी.पी.एसः//इकोनोमिक टाईम्स डॉट इण्डिया टाईम्स डॉट कॉम/ न्यूज/ पॉलिटिक्स-एण्ड-नेशन/सुसाइड-लीडिंग-केस-फॉर-ऑवर-300-लॉकडाउन-डेथ्स-इन-इण्डिया-सेज-स्टडी/ आर्टिकल शो/75519279 डॉट सीएमएस)
8. इंडियन अथॉरिटीज प्रोब् डेथ्स, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ऑन ट्रेंस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, एासेसिएट प्रेस, मई 29, 2020. (एच.टी.पी.पी.एसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट याहू डॉट कॉम/लाईफस्टाईल/ इण्डियन-ऑथोरीटिज-प्रोब-डेथ्स-माईग्रेन्ट-133824185 डॉट एचटीएम)
9. दत्ता, अनिशा, 198 माइग्रेंट वर्कर्स किल्ड इन रॉड एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, हिन्दुस्तान टाइम्स, जून 13, 2020. (एच.टी.पी.पी.एसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हिन्दुस्तानटाईम्स डॉट कॉम/ इण्डिया-न्यूज/198-माईग्रेन्ट-वर्कर्स-किल्ड-इन-रॉड-एक्सीडेंट्स-ड्यूरिंग-लॉकडाउन-रिपोर्ट/ स्टोरी")